

वनभूमि के मॉग का पूर्ण औचित्य

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

उपरोक्त कोलीढेक झील की स्वीकृति शासनादेश सं०-७८७/०१(११०)/XXVII(१)/२०१७/दि०-१६.०८.२०१७/नाबार्ड के द्वारा ₹० २१४२.५२ लाख की प्रदान हुई है। उक्त परियोजना का निर्माण लोहाघाट के समीप कोलीढेक ग्राम के लोहावती नदी में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में उभी तक कोई झील नहीं है। प्रस्तावित स्थल में वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है जिसका वनभूमि प्रस्ताव तैयार किया गया है। पेयजल एवं पर्यटन की दृष्टि से झील का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में मायावती आश्रम नामक स्थल पर्यटक स्थल भी है। यह स्थल टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के ११४ किमी० लोहाघाट से मात्र २.५ किमी० की दूरी में स्थित है। झील के निर्माण से लोहाघाट, कोलीढेक, बन्दलाढेक, कर्णकरायत, कलचौड़ा, फोर्टी आदि ग्रामों को पानी की सुविधा प्राप्त होगी।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण वनभूमि में झील का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित झील का निर्माण ग्राम-कोलीढेक की सीमा एवं ग्राम-फोर्टी की सीमा में किया जाना है। इस नदी में बारहमासी पानी रहता है। झील के निर्माण के पश्चात् झील में मत्स्य पालन सरकार की ओर से किया जायेगा, जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। झील के निर्माण के पश्चात् लोहाघाट एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जायेगा, जिस कारण इस क्षेत्र में बसे व्यापारियों एवं आम जनता को उघोग का मौका मिलेगा। उनकी आय में वृद्धि होगी।

उपरोक्तानुसार झील में मात्र १.३०८ हेठो वन पंचायत भूमि एवं सिविल भूमि ३.१९२ कुल भूमि ४.६०० हेठो प्रभावित हो रही है। अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण विशेष परिस्थिति में झील का निर्माण वनभूमि में किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार ४.५०० हेठो वनभूमि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

Shrey

सहायता अधिकारी प्रभावित
विवरण द्वारा खण्ड लोहाघाट
प्रभावित वनपद्धति



Mot

अधिकारी अभियन्ता
सिवाई अपर्यण
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
लोहाघाट

Shrey
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत